पत्रांक–......................./जि0आ0,

समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला आपूर्ति कार्यालय)

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण।

मोतिहारी दिनांक– वीं अक्टूबर, 2014

विषय : *अनुमंडल एवं जिला स्तर से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की जाँच के संबंध में।*

महाशय,

प्रायः यह देखा जाता है कि जो आवेदन–पत्र जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरूद्ध अनुमंडल या जिला स्तर पर प्राप्त होते हैं, उनकी जाँच के लिए एक सुव्यवस्थित जाँच प्रक्रिया स्थापित नही है। उक्त के आलोक में आपको निम्न आदेश दिये जाते हैं :–

1. **जिला स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर जन शिकायत पंजी संधारित की जाय और उसका जिम्मा आपूर्ति के किसी जिम्मेवार लिपिक को दिया जाय, जो अपनी Integrity के लिए जाने जाते हों। प्रत्येक सप्ताह गुरूवार तक प्राप्त आवेदन–पत्रों को जन शिकायत पंजी में दर्ज कर शुक्रवार को संबंधित प्रणन पदाधिकारी को बुलाकर उन्हें हस्तगत कराएँ। उनसे 24 घंटे के अन्दर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।** जाँच सौंपते वक्त यह ध्यान रखा जाय कि अन्य **प्रखंड के पणन पदाधिकारी ही उक्त शिकायत की जाँच करें। शिकायतों की जाँच के लिए प्रत्येक शनिवार को तिथि निर्धारित किया जाता है।** तदनुसार प्रत्येक शनिवार को जाँच सम्पन्न कराया जाय और उसी दिन शाम को अनुमंडल पदाधिकारी **बैठक कर सभी पणन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। अगर किसी कारणवश जाँच उस दिन सम्पन्न नहीं कराया जा सकता है तो अगले दिन रविवार को जाँच सम्पन्न करा लिया जाय। जाँच प्रतिवेदन निम्नांकित प्रपत्र में समेकित प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय को प्राप्त कराया जाय :–**

प्रपत्र

अनुमंडल का नाम	जाँच हेतु प्राप्त कुल आवेदन–पत्रों की संख्या	जाँच सम्पन्न आवेदन–पत्रों की संख्या	जाँच में पायी गई त्रुटियाँ				अभ्युक्ति
			प्राथमिकी योग्य	गंभीर आरोप	सामान्य आरोप	त्रुटिरहित	
1	2	3	4	5	6	7	8

यह अपेक्षा की जा रही है कि **अनुमंडल पदाधिकारी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए प्राथमिकी योग्य मामले में तत्क्षण अग्रेतर कानूनी एवं अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे।** *गम्भीर आरोपों* के संबंध में यह अपेक्षा की जा रही है कि **तत्क्षण आरोप–पत्र तैयार करा कर दो दिनों के अन्दर कारण–पृच्छा हेतु पत्र भेज दिया जाएगा।** यह भी अपेक्षा की जा रही है कि **अधिकतम समय–सीमा अगले सात दिनों के अन्दर इस संबंध में निर्णय अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर लिया जाय।**

प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ अनुमंडल पदाधिकारी वर्ष–1984 के नियंत्रण आदेश का हवाला देते हुए जाँच की कार्रवाई कर रहे हैं, जो अनुचित है। **वर्त्तमान में लागू नियंत्रण आदेश के अनुसार इस संदर्भ में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं विक्रेताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया** जाना उचित होगा। मेरा परामर्श है कि **मात्र कारण–पृच्छा प्राप्त कर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाय। कारण–पृच्छा पर डीलर की सुनवाई भी की जाय और युक्तियुक्त मुखर आदेश पारित कर ही रद्दीकरण की कार्रवाई की जाय। इससे पारदर्शिता भी रहेगी और अपील वाद में अपील स्वीकार भी नही होगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो आदेश पारित करेंगे, उसमें आरोपों/साक्ष्यों का आवश्यक**

विवेचन एवं विश्लेषण करना आवश्यक होगा। प्रत्येक आदेश में आपका विश्लेषण एवं मंतव्य आवश्यक रूप से अंकित किया जाय। यह श्रेयस्कर होगा कि आदेश अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं लेखापित करे ।

2. जिला स्तर पर प्रत्येक सप्ताह गुरूवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में जो आवेदन पत्र प्राप्त हो, उसे प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग द्वारा संबंधित मेन्टर पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय, जिनके द्वारा शनिवार को जाँच की जाएगी। मेन्टर पदाधिकारी दो प्रतियों में जाँच प्रतिवेदन तैयार करेंगे, जिसकी एक प्रति सीधे संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को एवं एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएँगे।

इस व्यवस्था से जाँच पारदर्शी एवं सुदृढ़ होगी और पारित आदेश में और सुक्ष्मता परिलक्षित होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन,

Sd/-

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक– 675 /जि0आ0, दिनांक– 27 वीं अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि जिला आई0टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं ई–मेल भेजने एवं वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता–सह–वरीय पदाधिकारी (आपूर्ति)/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला जन शिकायत पदाधिकारी/सभी मेन्टर पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि श्री राघवेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., सहायक समाहर्त्ता–सह–सहायक दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 23/10

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।